



संख्या: 571 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2011-108-मा०सं०(04) / 2005(टी०सी०- ॥।)

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपकम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक २० मई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के सेवारत/सेवा निवृत्त कार्मिकों तथा उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों की नेत्र की एकल चिकित्सा हेतु निगम की दरों एवं शर्तों पर एंजिल आइज हास्पिटल, कानपुर की तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश इस प्रतिबन्धाधीन किये जा रहे हैं कि उक्त चिकित्सालय प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर पनकी परियोजना चिकित्सालय में कार्मिकों के चश्मे एवं आँख की निःशुल्क जाँच सम्पन्न करते रहेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 571 (1) मा०सं० (04) / उ०नि०लि० / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज, ताप विद्युत गृह/मा०सं०/वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़) लखनऊ।
3. महा प्रबन्धक, पनकी ताप विद्युत गृह, पनकी कानपुर को इस आशय से कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करें कि उक्त चिकित्सालय के प्रबन्धन से समन्वय बनाकर नि: शुल्क जाँच की तिथि/समय नियत करें और इसका प्रचार करें, जिससे कार्मिकों को अधिकाधिक लाभ मिल सके।
4. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि० (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(चिकित्सा/औ०सं०/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं० 906, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
9. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट छितवापुर भुइयन, 12 आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
10. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा)/अनुसचिव(02)/अधिशासी अभियन्ता(03)/ (अनुशासनिक कार्यवाही), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ।
11. उप मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
12. प्रबन्धक, एंजिल आइज लैसिक सेन्टर, सी-35, सर्वोदय नगर, कानपुर।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

३०/८/२०११

(एम०डी० मिश्र)

अनुसचिव (मा०सं०-04)